मथुरा पुलिस

दिनांक -17.01.2026 OPERATION CONVICTION थाना फरह

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर गर्भवती करने एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना फ़रह जनपद मथुरा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 257/2023 धारा 376/506 आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट** में आज दिनांक 19.01.2026 को माननीय न्यायालय **स्पेशल पोक्सो जनपद मथुरा** द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अजय उर्फ मरूआ पुत्र निनुआराम निवासी गढी सैसू थाना फरह जनपद मथुरा को **आजीवन कारावास एवं 55,000/- रूपये** के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रम---दिनांक 17.08.2023 को थाना फरह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 257/2023 धारा 376/506 आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट में **अभियुक्त अजय उर्फ मरूआ पुत्र निनुआराम निवासी गढी सैसू थाना फरह जनपद मथुरा** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर गर्भवती करने देने एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की जघन्य घटना कारित की थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

श्रीमती अलका शर्मा विशेष लोक अभियोजक, मथुरा

निरीक्षक श्री सुरेशचन्द (विवेचक)

पैरोकार/है0का0 अशोक कुमार, थाना फरह मथुरा।